दायर दिनांक :– 02–11

निर्णय दिनांक :–

01 श्री गोपाल पिता कन्हैयालाल जाति कुमावत आयु वयस्क

02 श्री कन्हैयालाल पिता भेरा जाति कुमावत आयु वयस्क

निवासीगण जाजली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

– वादीगण

–:: बनाम ::–

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ

02. तहसीलदार अरनोद

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 रा0टी0 एक्ट, 136 ले0 रे0 एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री अर्जुन वैष्णव अभिभाषक वादीगण

–:: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न आधारों पर पेश कर निवेदन किया है कि वादी क्रमांक 2 के नाम से मौजा जाजली प0ह0 जाजली में खाता क्रमांक 33 पर आराजी नं0 1060/887 रकबा 0.31 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार वादी क्रमांक 1 के नाम मौजा जाजली में खाता सं0 82 पर आराजी नं0 886 रकबा 0.26 है0 एवं आराजी नं0 1298/887 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबाा 0.30 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादीगण मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे हैं। चरण सं0 1 में वर्णित आराजीयात पुराने आराजी नं0 755 एवं 755 मी0 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा से मिलकर बने हैं। उक्त आराजी पूर्व में बगदीराम, कन्हैयालाल, भगवानलाल पिता भेरा जी कुमावत के नाम दर्ज रही है और जिसका बोलता नाम पठार वारा खेत हैं। उक्त आराजी वादीगणों की पैतृक आराजी होकर वादी क्रमांक 1 ने आराजी नं0 1298/887 एवं आराजी नं0 886 अपने चाचा से क्रय की थी और आराजी नं0 1060/887 वादी क्रमांक 2 जो कि वादी क्रमांक 1 के पिता हैं, के हिस्से में आई थी। उक्त आराजी नं0 पुराने आराजी नं0 755 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से मिलकर बने हैं। वर्तमान आराजी नं0 1060/887, 886, 1298/887 रकबा क्रमशः 0.31 है0, 0.26 है0, 0.4 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 है0 हैं, बनता है। जो कि पुराने आराजी नं0 755 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की तुलना में 0.14 है0 भूमि कम है। उक्त पुराने आराजी नं0 755 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की तुलना में वर्तमान आराजी नं0 1060/887, 886, 1298/887 रकबा क्रमशः 0.31 है0, 0.26 है0, 0.4 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 है0 हैं, बनता है। जो कि पुराने आराजी नं0 755 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की तुलना में 0.14 है0 भूमि कम है दर्ज रिकॉर्ड हुआ जो कि सेटलमेंट के दौरान कम हुआ। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा कम दर्ज कर दिया गया है और ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था जबकि वादीगण वर्तमान में पुराने रकबे अनुसार ही मौके पर कृषि काश्त करते आ रहे हैं। पुराने नक्शे एवं वर्तमान नक्शे एवं मिलानशिट के आधार पर वर्तमान आराजी नं0 889/1 रकबा 0.34 है0 एवं 888 रकबा 0.82 है0 जो कि वर्तमान में खाता क्रमांक 381 पर दर्ज होकर चरनोट अथवा चारागाह में स्थित है। उक्त आराजी वादीगणों की आराजीयात से लगती हुई स्थित होकर वादीगणों की आराजीयात का कमी रकबा उक्त वर्णित आराजीयात में मिल गया है। और ऐसा सेटलमेंट के दौरान हुआ है। वादीगणों द्वारा न्याय आपके द्वार शिविर 2015 केम्प जाजली में उक्त बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

मौके पर कृषि काश्त करते आ रहे हैं।

किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार अरनोद से रिपोर्ट मांगी गई थी
अरनोद द्वारा पटवारी प0ह0 जाजली मौके पपर भेजकर दिनांक 26–05–2015 को रिपोर्ट
के मुताबिक वर्तमान आराजी नं0 888 एवं 889/1 किस्म चरनोट में से क्रमशः 0.07 है0
किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि जो कि वादीगणों का कमी रकबा है उक्त आराजी में
और वादीगणों को उक्त आराजी का खातेदारी अधिकारी दिलाये जाने की अनुशंषा की थी
अरनोद द्वारा भी अपने जवाब में उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए वादीगणों के हित में खातेदा
की अनुशंषा करते हुए जवाब पेश किया था। वादीगणों द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र प्रिन्टेड फॉर्म पर भर
दस्तावेज पेश किया था लेकिन केम्प के दौरान उक्त प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार की प्रोसेडिंग नहीं
माननीय न्यायालय हाजा द्वारा इस निर्देश पर पत्रावली लोटाई गई थी कि टाईप सुदा आवेदन पर
पत्रावली को पेश करें ताकि न्यायालय की प्रक्रिया को फोलो करते हुए उचित निर्णय दिया जा सके।
पत्रावली इतने दिन तक माननीय न्यायालय एवं तहसीलदार महोदय अरनोद के पास होने से काफी
हो चुका है और रही बात सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की तो वादी ने दिनांक 26–05–201
आवेदन पेश किया था जिसे दो वर्ष 4 माह हो गये हैं और वर्तमान में उक्त पत्रावली पर माननीय तहसी
महोदय का जवाब भी आ चुका है। इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान लागु नहीं ह
इसलिए प्रतिवादीगणों को सूचना देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सेटलमेंट विभाग द्वारा क
गलती का सुधार करते हुए एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती करते हुए आराजी नं0 888 एव 88
किस्म चरनोट में से क्रमशः 0.07 है0 एवं 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि जो कि वाद
का कमी रकबा हैं। उक्त आराजी रकबे को मौजा जाजली प0ह0 जाजली में खाता क्रमांक 33 पर अ
नं0 1060/887 रकबा 0.31 है0 एवं खाता सं0 82 पर आराजी नं0 886 रकबा 0.26 है0 एवं आराज
1298/887 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 दर्ज रिकॉर्ड है में रकबा 0.14 है0 में मि
वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उक्तानुसार लगान निर्धारित की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की दारदसी सहायता वादी के पक्ष में
प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे। वादीगण अधिकारी है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई गलती का
करते हुए एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए आराजी नं. 888 एवं 889/1 किस्म चरनोट
क्रमशः 0.07 है0 एवं 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि जो कि वादीगणों का कमी रकब
उक्त आराजी रकबे को मौजा जाजली प0ह0 जाजली में खाता क्रमांक 33 पर आराजी नं0 1060/887
0.31 है0 एवं खाता सं.82 पर आराजी नं0 886 रकबा 0.26 है0 एवं आराजी नं0 1298/887 रकबा 0.0
कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 दर्ज रिकॉर्ड है में रकबा 0.14 है0 में मिलाकर वादीगणों को खा
काश्तकार घोषित किया जावे और उक्तानुसार लगान निर्धारित की जावे। वादीगण अधिकारी है कि र
िकॉर्ड में खाता दुरस्त कर वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड किया जावे और उक्तानुसार वादी को खा
काश्तकार घोषित किया जावे। अन्य कोई सहायता वादीगण के पक्ष में वादीगण को दिलाई जावे। वाद
के वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब पूर्व में ही आया हुआ है ज
संलग्न किया गया।

उक्त पत्रावली पर तहसीलदार अरनोद का जवाब घोषणात्मक वाद के क्रम में विन्दुवार निम्ना
है– (1) ग्राम जाजली की आराजी नं0 886 रकबा 0.26 है0, आराजी नं0 1298/887 रकबा 0.04 है0
किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 जो गोपाल पिता कन्हैयालाल कुमावत के नाम तथा आराजी नं0 1060,
रकबा 0.31 है0 जो कन्हैयालाल पिता भेरा कुमावत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। दोनों खातेदारों की आराज
का कुल रकबा 0.61 है0 भूमि है। (2) संलग्न मिलान क्षेत्रफल की नकल एवं सेटलमेंट पूर्व के नक्शा
अनुसार उपरोक्त आराजीयात जो पुराने ख0 नं0 775 से बने थे संलग्न नकल अनुसार आराजी नं0 75
कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि है। (3) पूर्व आराजी नं0 755 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा को सेटलमेंट
0.75 है0 भूमि बनती है लेकिन वक्त सेटलमेंट में उपरोक्त आराजी 755 के नए ख0न0 886, 887 ब
उनका कुल रकबा 0.61 है0 भूमि ही दर्ज किया गया जो 0.14 है0 भूमि कम दर्ज की गई। (4) र
सेटलमेंट पूर्व के नक्शा एवं अभी वर्तमान नक्शा के मिलान अनुसार जो रकबा 0.14 है0 कम दर्ज किया
आराजी नं0 888, 889 में सम्मिलित कर दिया है दोनों आराजी नं0 888, 889 वर्तमान में किस्म चरनोट

रकबा क्रमशः 0.82 है0, 0.34 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। (5) संलग्न सभी नकलों एवं नक्शा का अवलोकन
प्रार्थीया के आराजी नं0 में 0.14 है0 भूमि वक्त सेटलमेंट कम दर्ज की गई वो आराजी नं0 888 किस्म
ट में 0.07 है0 एवं 889 किस्म चरनोट में 0.07 है0 भूमि चरनोट में दर्ज कर दी गई। उपरोक्त दोनों
राजी 888, 889/1 में 0.14 है0 भूमि खातेदारी भूमि में से चरनोट दर्ज कर दी गई जो चरनोट में से
ातेदारी में दर्ज करना उचित है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, साक्ष्यों, पटवारी एवं तहसीलदार के जवाब का अवलोकन किया एवं तहसीलदार ने बहस में भी वादी पक्ष के वाद से सहमत है। अतः उक्त आधार पर आराजी नं0 888 एवं 889/1 किस्म चरनोट में से क्रमशः 0.07 है0 एवं 0.07 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि जो कि वादीगणों की कमी रकबा है। उक्त आराजी रकबे को मौजा जाजली पटवार हल्का जाजली में खाता क्रमांक 33 पर आराजी नं0 1060/887 रकबा 0.31 है0 एवं खाता सं0 82 पर आराजी नं0 886 रकबा 0.26 है0 एव आराजी नं0 1298/887 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 दर्ज रिकॉर्ड है में रकबा 0.14 है में मिलाकर वादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अरनोद